# ...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

...संख्या :–191/2020
...NO:- 2020/00376 दायर दिनांकः 02.11.2020
...न अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

कन्हैयालाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।
–प्रार्थी–

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मोरपाल जाति मीना निवासी बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 23.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 44/1386 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। जिसके पूर्व खसरा संख्या 44/3 थे। यह कि ग्राम बटावती तहसील नैनवॉं में खसरा संख्या 44 रकबा 28 बीघा स्थित है। यह किग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 44/1386 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जरखोदा से फतेहगंज जाने का एक रास्ता बटावती ग्राम से माल में जाने वाले रास्ते से फटकर दक्षिण की ओर खसरा संख्या 44 के पूर्वी तरफ होकर उत्तर से दक्षिण जाता हुआ खसरा संख्या 44/1386 में पहुंचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थी संख्या 1 ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता काफी खर्चीला एवं लम्बा है। अतः खसरा संख्या 44/1386 तक पहुॅचने के लिए खसरा संख्या 44 में से रकबा 114 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 228 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.094 हे0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में पूर्व की मेड के उत्तर से दक्षिण की तरफ बिन्दु A से B तक लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कैथूदा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 44/1386 रकबा 11 बीघा 11 ... कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां बून्दी



Scanned with CamScanner

...में से रकबा 114 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 228 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.094 है0 भूमि . जिसे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से बिन्दु A से B तक अंकित किया गया है, के ...सार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग ...आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner